न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 111/2014 दायरा दिनांक : 30.06.2014

उनवान

स्वर्गीय छीतरलाल आत्मज स्वर्गीय श्री धूलीलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1(1) स्वर्गीय मोहनलाल आत्मज स्वर्गीय श्री छीतरलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1(1)(1) प्रेम प्रकाश आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(1)(2) गिर्राज आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(1)(3) सुरेश आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(1)(4) राकेश आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(1)(5) सुनीता पुत्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(1)(6) श्रीमती जानकीबाई विधवा पत्नी स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1(2) गोपाल आत्मज स्वर्गीय श्री छीतरलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(3) भरोसी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री छीतरलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(4) जानकी बाई पुत्री स्वर्गीय श्री छीतरलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

1(5) चन्द्रकला पुत्री स्वर्गीय श्री छीतरलाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मूर्ति श्री केशवराय जी बिराजमान अन्ता जरिये नेक्ट फ्रेण्ड एवं व्यवस्थापक श्री केसरीलाल आत्मज श्री हरिबल्लभ, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— स्वर्गीय रामकिशन आत्मज स्वर्गीय श्री धूलीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

2(1) स्वर्गीय जगमोहन पुत्र स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

2(1)(1) श्रीमती मन्जू बाई विधवा पत्नी स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(1)(2) प्रिया पुत्री स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती मन्जूबाई विधवा पत्नी स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

2(1)(3) पायल पुत्री स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती मन्जूबाई विधवा पत्नी स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(1)(4) कीर्ति पुत्री स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां नाबालिगान जरिये बविलायत माता स्वयं श्रीमती मन्जूबाई विधवा पत्नी स्वर्गीय जगमोहन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(2) चन्द्र प्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(3) गायत्री बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(4) मनभर बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(5) भूली बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(6) शिमला बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

2(7) नर्बदा बाई पुत्री स्वर्गीय श्री रामकिशन जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– मोहन लाल आत्मज श्री काल्या, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

4– रामरतन आत्मज श्री काल्या, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– रामकल्याण आत्मज श्री काल्या, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

6– छोटू लाल आत्मज श्री काल्या, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

7– गजानन्द आत्मज श्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

8– गणेश आत्मज श्री मोहनलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

9– हरिबल्लभ दत्तक पुत्र मथुरा लाल, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

10– पन्ना आत्मज श्री माधो जी, जाति माली, निवासी ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री एन के गुप्ता एवं श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : **28.01.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 126/98 निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.1998 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज॰)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय व डिक्री जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत हक घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाकर ग्राम अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 705 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से सैटलमेंट द्वारा कम किया रकबा 0.12 हेक्टर अर्थात् पुराना 15 बिस्वा रकबा प्रतिवादीगण अपीलांट्स के खाते से कम कर मूर्ति मंदिर के खाते की हाल खसरा नम्बर 178 में शामिल किया जाकर रकबा 0.61 हेक्टर कर वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के खाते पूरा रकबा किये जाने का एवं वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध मूर्ति के खातू व कब्जे काश्त में कोई व्यवधान नहीं करें इस आशय का निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने सम्मन की प्रोपर तामील नहीं करवायी है । वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 की कोई भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 छीतरलाल एवं दीगर प्रतिवादीगण के खाते दर्ज नहीं की गई है । प्रतिवादी नम्बर 1 छीतरलाल की मृत्यु हो चुकी है । अपीलांट मृतक छीतरलाल के उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान है । प्रतिवादी नम्बर 1 छीतरलाल दीगर प्रतिवादीगण एवं छीतरलाल की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अपीलांटउसके खातेदारी की भूमि पर काबिज है । विवादित आराजी 0.12 हेक्टर (15 बिस्वा) भूमि पर वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का कब्जा नहीं है बल्कि शुरू से ही प्रतिवादी नम्बर 1 छीतरलाल उसकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अपीलांट एवं दीगर प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है । वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का विवादित आराजी 0.12 हेक्टर में कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा भी नहीं है । इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री जैर अपील सादिर फरमाने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की एक पक्षीय त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी रिपोर्ट को आधार मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी छीतरलाल को सूचना दिये बिना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही, प्रतिवादी नम्बर 1 छीतरलाल की अनुपस्थिति में निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.1998 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.06.2014 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां दावा किया था । खसरा नम्बर 705 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा भूमि सैटलमेंट ने नये खसरा नम्बर 178 रकबा 0.49 हेक्टर कायम किया गया । जबकि 0.61 हेक्टर दर्ज होना चाहिए था । अतः उनके खाते में से कम करके हमारे खाते में दर्ज किया जावे । प्रतिवादी अपीलांट छीतरलाल को सम्मन दिया जिसकी व्यक्तिगत तामील नहीं हुई पुत्र ने सम्मन प्राप्त किया । तामील प्रोपर नहीं हुई है । सम्पत्ति का मामला है व्यक्तिगत सुनवाई का मौका नहीं दिया । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर डी 1980 पेज 168, आर आर डी 1984 पेज 711 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया । प्रतिवादी अपीलांट की तामील पर्याप्त है क्योंकि सम्मन उसके पुत्र ने प्राप्त किया था। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.06.1998 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 178 का 0.12 हेक्टर रकबा जो मूर्ति केशवराय जी विराजमान अन्ता के खाते का था । प्रतिवादीगण के खाते में जुड़ गया और यह त्रुटि भू प्रबन्ध विभाग ने की है । प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल नया पुराना पेश किया है तथा नक्शाट्रेस भी पेश किया है जिससे भी रेस्पोडेंट संख्या 1 का कम किया गया रकबा अपीलांट के खाते में जुड़ गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख वादी व प्रतिवादीगण व तहसीलदार की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात नियमों के परिपेक्ष्य में इन्द्राज दुरूस्ती की गई है जो न्यायोचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.07.1998 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा